

Sixteenth Loksabha

an&gt;

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/members.

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):** माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ-

- (1) (एक) नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेन्ट, मुम्बई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेन्ट, मुम्बई के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT-7350/16/17)

- (2) भारतीय महिला बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(Placed in Library, See No. LT-7351/16/17)

- (3) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पालिसी धारकों के हित का संरक्षण) विनियम, 2017 जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. आईआरडीएआई/रेग./8/145/2017 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT-7352/16/17)

- (4) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (1) ऋण वसूली अपील अधिकरण, कोलकाता (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 893(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (2) ऋण वसूली अपील अधिकरण, चेन्नई (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 894(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (3) ऋण वसूली अपील अधिकरण, मुंबई (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 895(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (4) ऋण वसूली अपील अधिकरण, इलाहाबाद (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 896(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (5) ऋण वसूली अपील अधिकरण, दिल्ली (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 897(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (6) ऋण वसूली अपील अधिकरण-एक, अहमदाबाद (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 898(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (7) ऋण वसूली अपील अधिकरण-दो, अहमदाबाद (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 899(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (8) ऋण वसूली अपील अधिकरण, इलाहाबाद (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 900(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (9) ऋण वसूली अपील अधिकरण, औरंगाबाद (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 901(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (10) ऋण वसूली अपील अधिकरण-एक, बेंगलुरु (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 902(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (11) ऋण वसूली अपील अधिकरण-एक, चंडीगढ़ (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 903(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (12) ऋण वसूली अपील अधिकरण-दो, चंडीगढ़ (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 904(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (13) ऋण वसूली अपील अधिकरण-एक, चेन्नई (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 905(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (14) ऋण वसूली अपील अधिकरण-दो, चेन्नई (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 906(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (15) ऋण वसूली अपील अधिकरण-तीन, चेन्नई (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 907(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (16) ऋण वसूली अपील अधिकरण, कोयंबटूर (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 908(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (17) ऋण वसूली अपील अधिकरण, कटक (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 909(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (18) ऋण वसूली अपील अधिकरण-एक, दिल्ली (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 910(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (19) ऋण वसूली अपील अधिकरण-दो, दिल्ली (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 911(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (20) ऋण वसूली अपील अधिकरण-तीन, दिल्ली (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 912(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (21) ऋण वसूली अपील अधिकरण, एर्णाकुलम (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 913(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (22) ऋण वसूली अपील अधिकरण, गुवाहाटी (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 914(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (23) ऋण वसूली अपील अधिकरण-एक, हैदराबाद (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 915(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (24) ऋण वसूली अपील अधिकरण, जबलपुर (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 916(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (25) ऋण वसूली अपील अधिकरण, जयपुर (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 917(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (26) ऋण वसूली अपील अधिकरण-एक, कोलकाता (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 918(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (27) ऋण वसूली अपील अधिकरण-दो, कोलकाता (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 919(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (28) ऋण वसूली अपील अधिकरण-तीन, कोलकाता (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 920(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (29) ऋण वसूली अपील अधिकरण, लखनऊ (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 921(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (30) ऋण वसूली अपील अधिकरण, मदुराई (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 922(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (31) ऋण वसूली अपील अधिकरण-एक, मुंबई (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 923(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (32) ऋण वसूली अपील अधिकरण-दो, मुंबई (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 924(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (33) ऋण वसूली अपील अधिकरण-तीन, मुंबई (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 925(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (34) ऋण वसूली अपील अधिकरण, नागपुर (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 926(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (35) ऋण वसूली अपील अधिकरण, पटना (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 927(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (36) ऋण वसूली अपील अधिकरण, पुणे (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 928(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (37) ऋण वसूली अपील अधिकरण, राँची (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 929(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (38) ऋण वसूली अपील अधिकरण, विशाखापत्तनम (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 930(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(Placed in Library, See No. LT-7353/16/17)

(5) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) सा.का.नि.722(अ) जो 29 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित वस्तुओं का पुनर्निर्यात (सीमा शुल्क की खामी) संशोधन नियम, 2017 तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि.727(अ) जो 29 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विभिन्न अधिसूचनाओं में उल्लिखित कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सा.का.नि.853(अ) जो 10 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सा.का.नि.881(अ) जो 14 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विभिन्न अधिसूचनाओं में उल्लिखित कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पाँच) सा.का.नि.762(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय 16 सितम्बर, 1993 की अधिसूचना संख्या 171/1993-सी.शु. को निरस्त करना है एवं उत्तरवर्ती रूप से उपहार आयातों पर कोई छूट नहीं होगी और उत्तरवर्ती रूप से सदाशयतापूर्ण उपहारों पर 28 प्रतिशत आईजीएसटी लगेगा एवं लागू होने वाला बुनियादी सीमा शुल्क लगेगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सा.का.नि.763(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 मई, 1982 की अधिसूचना संख्या 151/1982-सी.शु. को निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सा.का.नि.764(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा स्पेसीमेन, माडल्स, वाल पिक्चर्स और डायग्राम पर बुनियादी सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखा गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सा.का.नि.765(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सचल तस्वीरों, संगीत, गेमिंग सॉफ्टवेयर पर बुनियादी सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखा गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) सा.का.नि.766(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दावा नहीं किए गए डाक आर्टिकल्स के पुनर्आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखा गया है एवं इसे समेकित कर से छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) सा.का.नि.767(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 100 वर्ष से अधिक पुरानी कलाकृतियों और पुस्तकों पर बुनियादी सीमा

- शुल्क से मिली छूट को जारी रखा गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) सा.का.नि.768(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा रक्षा इकाइयों द्वारा जीते गए चैलेंज कप और ट्राफियों पर बुनियादी सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखा गया है एवं इसे समेकित कर से छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) सा.का.नि.769(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा टैक्स और लेवल्स या मरम्मत और लौटाने के लिए विदेशी मूल के आयातित छपे हुए थैलों पर बुनियादी सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखा गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) सा.का.नि.770(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इंडियन एयरलाइन्स, यूनाइटेड अरब एयरलाइन्स और भारतीय वायुसेना द्वारा वायुयानों के टैकों में एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर बुनियादी सीमा शुल्क और अतिरिक्त सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखा गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौदह) सा.का.नि.771(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उपराष्ट्रपति द्वारा आयातों पर बुनियादी सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखा गया है एवं इसे एकीकृत कर एवं माल तथा सेवा प्रतिकर उपकर से छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पंद्रह) सा.का.नि.772(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा रक्षा और आंतरिक सुरक्षा बलों से जुड़े आयातों पर बुनियादी सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखा गया है एवं इसे एकीकृत कर से छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सोलह) सा.का.नि.773(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वायुयानों के इंजनों और कलपुर्जों के पुनआयात पर बुनियादी सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखा गया है एवं इसे एकीकृत कर से छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सत्रह) सा.का.नि.774(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 जनवरी, 1957 की अधिसूचना सं. 3/57-सी.शु. में संशोधन किया गया है ताकि राजनायिकों द्वारा आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखी जा सके एवं इसे एकीकृत कर एवं माल तथा सेवा प्रतिकर उपकर से छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (अठारह) सा.का.नि.775(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भूटान और नेपाल से आयातित विशिष्ट वस्तुओं के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखा गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (उन्नीस) सा.का.नि.776(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भारतीय खिलाड़ियों द्वारा जीते गए चैलेंज कप, ट्राफियों और पद को एवं पुरस्कारों आदि पर बुनियादी सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी

रखा गया है एवं इसे समेकित कर से छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (बीस) सा.का.नि.777(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय 14 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या 102/2007, 8 जनरवरी, 1999 की 4/99 और 30 सितम्बर, 1994 की 172/1994 में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (इक्कीस) सा.का.नि.778(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय रक्षा, सुरक्षा, खिलाड़ियों आदि द्वारा पुनआयात, द्वपक्षीय/ बहुपक्षीय समझौतों, आयातों से जुड़ी कतिपय छूट वाली अधिसूचनाओं में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बाईस) सा.का.नि.779(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय व्यक्तिगत निजी सम्पत्ति, वारंटी के अंतर्गत नःशुल्क आपूर्ति की गई वस्तुओं, नःशुल्क उपहारों, परोपकारी संगठनों आदि द्वारा अभिदान से जुड़ी विशिष्ट छूट वाली अधिसूचनाओं में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेईस) सा.का.नि.780(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय 1 जुलाई, 2017 को या उसके पश्चात् शुल्क वापसी, शुल्क में छूट या बाण्ड के अधीन निर्यातित वस्तुओं के पुनआयात पर बुनियादी सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखा गया है एवं इसे एकीकृत कर और माल एवं सेवा प्रतिकर उपकर से छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौबीस) सा.का.नि.781(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय अधिसूचना सं. 94/1996-सी.शु. का अतिक्रमण करना है ताकि 30 जून, 2017 को या उसके पश्चात् शुल्क वापसी, शुल्क में छूट या बाण्ड के अधीन निर्यातित वस्तुओं के पुनआयात पर बुनियादी सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखा जा सके एवं इसे एकीकृत कर और माल एवं सेवा प्रतिकर उपकर से छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पच्चीस) सा.का.नि.782(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय शुल्क वापसी, शुल्क में छूट या बाण्ड के अधीन निर्यातित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची के अंतर्गत वस्तुओं के पुनआयात पर बुनियादी सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखना है एवं इसे अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छब्बीस) सा.का.नि.783(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय इंडियन एयरलाइन्स, द्वारा कैटरिंग केबिन इक्वूपमेंट के पुनआयात पर बुनियादी सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखना और अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सत्ताईस) सा.का.नि.784(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची के अंतर्गत शामिल वस्तुओं पर सैड से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (अट्ठाईस) सा.का.नि.785(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय 17.03.2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-सी.शु. का



अतिक्रमण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (उन्तीस) सा.का.नि.786(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय अधिसूचना सं. 21/2012-सी.शु. का अतिक्रमण करना है ताकि परिवहन क्षेत्र में उपयोग हेतु पेट्रोलियम कूड, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम गैसों और इपधनों एवं सीएनजी पर विशेष अतिरिक्त शुल्क शून्य करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीस) सा.का.नि.787(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, के अध्याय 27 की मदों पर बुनियादी सीमा शुल्क और अतिरिक्त सीमा शुल्क की प्रभावी दर को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाना जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (इकतीस) सा.का.नि.788(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय पेट्रोलियम कूड, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एलएनजी एवं प्राकृतिक गैस पर विशेष अतिरिक्त शुल्क जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बत्तीस) सा.का.नि.789(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय वस्तुओं के आयात पर प्रतिकर उपकर एवं आईजीएसटी पर शिक्षा उपकर से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तैंतीस) सा.का.नि.790(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय वस्तुओं के आयात पर प्रतिकर उपकर एवं आईजीएसटी पर सैकेंडरी और उच्चतर शिक्षा उपकर से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(Placed in Library, See No. LT-7354/16/17)

(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) सा.का.नि. 755(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित दस अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि. 931(अ) जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पूर्ववर्ती केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अंतर्गत क्षेत्र आधारित छूट से जुड़ी छह जारी अधिसूचनाओं को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सा.का.नि. 932(अ) जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पूर्ववर्ती केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3क के अंतर्गत जारी पांच केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गैर टैरिफ) अधिसूचनाओं को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (चार) सा.का.नि. 791(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय माल और सेवा कर में वस्तुओं को छूट प्रदान करने वाली केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचनाओं को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पाँच) सा.का.नि. 792(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को उनके आधिकारिक उपयोग की उत्पाद शुल्क युक्त वस्तुओं की आपूर्ति से छूट देने के लिए अधिसूचना सं. 108/95-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सा.का.नि. 793(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय पेट्रोल, ईथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, मिश्रित एचएसडी, जैव डीजल एविएशन टर्बाइन इपधन, एलएनजी और प्राकृतिक गैस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रभावी दर निर्धारित करने के लिए अधिसूचना सं. 12/2012-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सा.का.नि. 794(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय 30 जून, 2017 को या इसके पूर्व विनिर्मित वस्तुओं परंतु 1 जुलाई, 2017 के पूर्व उत्पादन कारखाने से नहीं भेजी गई वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सा.का.नि. 795(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय भारतीय नौ सेना और तट रक्षक को वैसेल पर उपभोग के लिए भंडार के रूप में आपूर्ति किए गए सिगरेट और पेट्रोलियम उत्पादों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट जारी रखने के लिए अधिसूचना सं. 64/95-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अतिक्रमण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) सा.का.नि. 796(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 1944 क चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को ही अधिसूचना सं. 52/2002-के.उ.शु., 8/2003-के.उ.शु., 3/2006-के.उ.शु. एवं 29/2008-के.उ.शु. में प्रदत्त छूटों को सीमित करने के लिए इन अधिसूचनाओं में संशोधन करना तथा अधिसूचना सं. 38/2004-के.उ.शु., 62/2008-के.उ.शु. और 21/2009-के.उ.शु. में विनिर्दिष्ट स्थानों पर "उपयुक्त उत्पाद शुल्कों" शब्दों को "उपयुक्त केन्द्रीय कर, राज्यकर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर" शब्दों से प्रतिस्थापित करने के लिए संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) सा.का.नि. 823(अ) जो 3 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 13 मई, 2002 की अधिसूचना सं. 28/2002-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159, एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 1944 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि.954(अ) जो 26 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 अक्टूबर, 2016 की अधिसूचना सं. 131/2016-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निपटान आयोग (संशोधन) प्रक्रिया, 2017 जो 9 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 447(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(Placed in Library, See No. LT-7356/16/17)

(8) प्रतिकर उपकर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि.938(अ) जो 20 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनका आशय किसी गैर-प्रदायकर्ता से ऐसे व्यक्ति, जो पुराने सामानों की खरीद और विक्रय का काम करता हो और ऐसे पुराने सामान पर केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 32 के उपनियम(5) के अंतर्गत यथाअवधारित विक्रय और खरीद मूल्य के बीच के अंतर की राशि पर माल और सेवा कर प्रतिकर उपकर का संदाय करता हो, के द्वारा प्राप्त पुराने माल की अंतरराज्यीय प्रदाय पर माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 की धारा 8 के अंतर्गत उग्रहणीय माल और सेवा कर प्रतिकर उपकर से पूरी तरह छूट प्रदान करनी है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT-7357/16/17)

(9) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 878(अ) जो 13 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनका आशय 16 जुलाई, 2012 की अधिसूचना सं. 36/2012-सी.शु.,(एडीडी) के अंतर्गत थाईलैंड और चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "ग्राइंडिंग मीडिया बाल्स (फोर्ज्ड ग्राइंडिंग मीडिया बाल्स को छोड़कर)" के आयात पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क के उग्रहण को बढ़ाना है और उक्त अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा(5) के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क को बढ़ाने की अनुशंसा की थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(Placed in Library, See No. LT-7358/16/17)

(10) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उप-धारा(4) के अंतर्गत सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2017 जो 22 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.

सा.का.नि.625(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(Placed in Library, See No. LT-7359/16/17)

- (11) अधिसूचना सं. सा.का.नि.647(अ) जो 27 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय यह विहित करना है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में रजिस्ट्रीकृत कोई पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पिछले वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 75 लाख से अनधिक था, सम्मिश्रण उग्रहण का पात्र होगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश राज्यों में रजिस्ट्रीकृत कोई पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पिछले वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 50 लाख से अनधिक था, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 10 की उप-धारा(1) के अंतर्गत सम्मिश्रण उग्रहण का पात्र होगा। इसके अलावा अधिसूचना का आशय यह उपबंध करना है कि केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति निम्न माल का विनिर्माण करता है तो वह सम्मिश्रण उग्रहण का विकल्प चुनने का पात्र नहीं होगा (एक) आइसक्रीम और अन्य खाद्य बर्फ, चाहे कोको युक्त हो या नहीं (दो) पान मसाला (तीन) सभी माल अर्थात् तंबाकू और विनिर्मित तंबाकू अनुकल्प।

(Placed in Library, See No. LT-7360/16/17)

- (12) अधिसूचना सं. सा.का.नि.648(अ) जो 27 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय यह विहित करना है कि कोई पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पिछले वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 75 लाख से अनधिक था, संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 21 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 10 की उप-धारा(1) के अंतर्गत सम्मिश्रण उग्रहण का पात्र होगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। इसके अलावा अधिसूचना का आशय यह उपबंध करना है कि संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति निम्न माल का विनिर्माण करता है तो वह सम्मिश्रण उग्रहण का विकल्प चुनने का पात्र नहीं होगा (एक) आइसक्रीम और अन्य खाद्य बर्फ, चाहे कोको युक्त हो या नहीं (दो) पान मसाला (तीन) सभी माल अर्थात् तंबाकू और विनिर्मित तंबाकू अनुकल्प।

(Placed in Library, See No. LT-7361/16/17)

(13) धन-शोधन अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) धन-शोधन निवारण (अभिलेख रखना) दूसरा संशोधन नियम, 2017 जो 1 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 538(अ) में प्रकाशित हुए थे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) धन-शोधन निवारण (अभिलेख रखना) संशोधन नियम, 2017 जो 12 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 347(अ) में प्रकाशित हुए थे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(Placed in Library, See No. LT-7362/16/17)

(14) (एक) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT-7363/16/17)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(1) of the Constitution:-

(i) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 30 of 2017) (Department of Revenue-Direct Tax)-Payment of tax by certain companies under special provisions of section 115JB.

[Placed in Library, See No. LT 7364/16/17]

(ii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 31 of 2017) (Indirect Taxes-Service Tax)-Levy and Collection of Service Tax on Entertainment

Sector, Department of Revenue for the year ended March, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 7365/16/17]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Securities and Exchange Board of India, Mumbai, for the year 2016-2017.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of Securities and Exchange Board of India, Mumbai, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 7366/16/17]

(3) A copy of the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Third Amendment) Regulations, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/004 in Gazette of India dated 29<sup>th</sup> May, 2017 under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.

[Placed in Library, See No. LT 7367/16/17]

(4) A copy of the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) (Amendment) Regulations, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.635(E) in Gazette of India dated 23<sup>rd</sup> June, 2017 under Section 48 of the Foreign Exchange Management Act, 1999.

[Placed in Library, See No. LT 7368/16/17]

(5) A copy of the Reserve Bank of India Monetary Policy Committee and Monetary Policy Process Regulations, 2016 (Hindi and English versions) published in Notification No. M.P.D.P.M.D.No.17/02.02.015/17-18 in Gazette of India dated 20<sup>th</sup> July, 2017 under sub-section (4) of Section 54 of the Reserve Bank of India Act, 1934.

- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 7369/16/17]

- (7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 25 of the Coinage Act, 2011:-

- (i) The Coinage of One Hundred Rupees and Ten Rupees Coins to mark the occasion of Birth Centenary Commemoration of Swami Chinmayananda Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R.335(E) in Gazette of India dated 30<sup>th</sup> April, 2015.
- (ii) The Coinage of One Hundred Fifty Rupees and Ten Rupees Coins to mark the occasion of 150<sup>th</sup> Birth Anniversary of Lala Lajpat Rai Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R.381(E) in Gazette of India dated 13<sup>th</sup> May, 2015.
- (iii) The Coinage of One Hundred Fifty Rupees and Ten Rupees Coins to commemorate the occasion of “International Day of Yoga” Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R.487(E) in Gazette of India dated 12<sup>th</sup> June, 2015.
- (iv) The Coinage of One Hundred Twenty Five Rupees and Ten Rupees Coins to commemorate the occasion of 125<sup>th</sup> Birth Anniversary of Dr. S. Radhakrishnan Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R.512(E) in Gazette of India dated 25<sup>th</sup> June, 2015.
- (v) The Coinage of Fifty Rupees and Five Rupees Coins to Commemrate the occasion of “Golden Jubilee of Indo Pak War 1965” Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R.667(E) in Gazette of India dated 28<sup>th</sup> August, 2015.
- (vi) The Coinage of Five Hundred Rupees and Ten Rupees coins to commemorate the occasion of 3<sup>rd</sup> India-Africa Forum Summit Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R.798(E) in Gazette of India dated 21<sup>st</sup> October, 2015.
- (vii) The Coinage of One Hundred Twenty Five Rupees and Ten Rupees coins to commemorate the occasion of 125<sup>th</sup> Birth Anniversary of Dr. B. R. Ambedkar Rules, 2015 published in

Notification No. G.S.R.815(E) in Gazette of India dated 29<sup>th</sup> October, 2015.

- (viii) The Coinage of One Hundred and Ten Rupees coins to commemorate the occasion of 475<sup>th</sup> Birth Anniversary of Maharana Pratap Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R.947(E) in Gazette of India dated 9<sup>th</sup> December, 2015.
- (ix) The Coinage of Two Hundred Rupees and Ten Rupees Coins to commemorate the occasion of 200<sup>th</sup> Birth Anniversary of Tatyia Tope Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R.816(E) in Gazette of India dated 29<sup>th</sup> October, 2015.
- (x) The Coinage of Five Hundred Rupees and Ten Rupees Coins to commemorate the occasion of “500<sup>th</sup> Anniversary of Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu’s Coming to Vrindavan Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.116(E) in Gazette of India dated 28<sup>th</sup> January, 2016.
- (xi) The Coinage of One Hundred Fifty Rupees and Five Rupees Coins to commemorate the occasion of 150<sup>th</sup> Birth Anniversary of Allahabad High Court Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.191(E) in Gazette of India dated 24<sup>th</sup> February, 2016.
- (xii) The Coinage of One Hundred Rupees and Five Rupees Coins to commemorate the Occasion of “Biju Patnaik Birth Centenary” Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.172(E) in Gazette of India dated 17<sup>th</sup> February, 2016.
- (xiii) The Coinage (issue of commemorative coins on the occasion of one hundred twenty-fifth Year of National Archives of India) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.197(E) in Gazette of India dated 26<sup>th</sup> February, 2016.
- (xiv) The Coinage (Issue of Commemorative Coins on the occasion of centenary celebration of Banaras Hindu University) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.292(E) in Gazette of India dated 11<sup>th</sup> March, 2016.
- (xv) The Coinage (Issue of Commemorative Coins on the occasion of “University of Mysore Centenary Celebrations”) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.825(E) in Gazette of India dated 26<sup>th</sup> August, 2016.
- (xvi) The Coinage (Issue of Commemorative Coins on the occasion of Birth Centenary of Pandit Deendayal Upadhyaya) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.836(E) in



Gazette of India dated 31<sup>st</sup> August, 2016.

- (xvii) The Printing of One Rupee Currency Notes Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.192(E) in Gazette of India dated 24<sup>th</sup> February, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 7370/16/17]

(8) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 469 of the Companies Act, 2013:-

- (i) The Companies (Audit and Auditors) Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.307(E) in Gazette of India dated 30<sup>th</sup> March, 2017.
- (ii) The Companies (Meetings of Board and its Powers) Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.309(E) in Gazette of India dated 30<sup>th</sup> March, 2017.
- (iii) The Companies (Registration of Charges) Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.339(E) in Gazette of India dated 10<sup>th</sup> April, 2017.
- (iv) The Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.355(E) in Gazette of India dated 13<sup>th</sup> April, 2017.
- (v) The Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.368(E) in Gazette of India dated 13<sup>th</sup> April, 2017.
- (vi) The Companies (Acceptance of Deposits) Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.454(E) in Gazette of India dated 11<sup>th</sup> May, 2017.
- (vii) The Companies (Audit and Auditors) Second Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.621(E) in Gazette of India dated 22<sup>nd</sup> June, 2017.
- (viii) The Companies (Transfer of Pending Proceedings) Second Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.732(E) in Gazette of India dated 30<sup>th</sup> June, 2017.
- (ix) The Companies (Appointment and Qualification of Directors) Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.839(E) in Gazette of India dated 6<sup>th</sup> July, 2017.

(x) The National Company Law Tribunal (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.840(E) in Gazette of India dated 6<sup>th</sup> July, 2017.

(9) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (8) above.

[Placed in Library, See No. LT 7371/16/17]

(10) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 467 of the Companies Act, 2013:-

(i) G.S.R.308(E) published in Gazette of India dated 30<sup>th</sup> March, 2017, making certain amendments to Schedule III of the Companies Act, 2013.

(ii) S.O.2113(E) published in Gazette of India dated 6<sup>th</sup> July, 2017 making certain amendments to Schedule IV of the Companies Act, 2013.

(11) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (i) of (10) above.

[Placed in Library, See No. LT 7372/16/17]

(12) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 462 of the Companies Act, 2013:-

(i) G.S.R.582(E) published in Gazette of India dated 13<sup>th</sup> June, 2017 making certain amendments in the Notification No. G.S.R.463(E) dated 5<sup>th</sup> June, 2015.

(ii) G.S.R.583(E) published in Gazette of India dated 13<sup>th</sup> June, 2017 making certain amendments in the Notification No. G.S.R.464(E) dated 5<sup>th</sup> June, 2015, together with a corrigendum thereto published in Notification No. S.O.2218(E) dated 13<sup>th</sup> July, 2017.

(iii) G.S.R.584(E) published in Gazette of India dated 13<sup>th</sup> June, 2017 making certain amendments in the Notification No. G.S.R.466(E) dated 5<sup>th</sup> June, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 7373/16/17]

(13) A copy of the Companies (Removal of Difficulties) Order, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O.2042(E) in Gazette of India dated 30<sup>th</sup> June, 2017 under sub-section (2) of Section 470 of the Companies Act, 2013.

[Placed in Library, See No. LT 7374/16/17]

(14) A copy of the Statement (Hindi and English versions) of the Market Borrowings by Central Government during 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 7375/16/17]

**महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा राज) :** महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ -

(1) (एक) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7376/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI C. R. CHAUDHARY): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Report (Hindi and English versions) of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 18 of 2017)- Compliance Audit on Food Corporation India, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, for the year ended March, 2016 under Article 151(1) of the Constitution.

[Placed in Library, See No. LT 7377/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE): Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Memorandum of Understanding between the Mazagon Dock Shipbuilders Limited and the Ministry of Defence for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 7378/16/17]

- (2) Memorandum of Understanding between the Goa Shipyard Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 7379/16/17]

- (3) Memorandum of Understanding between the Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited and the Ministry of Defence for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 7380/16/17]

- (4) Memorandum of Understanding between the Bharat Dynamics Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 7381/16/17]

-